[2022] 11 एस. सी. आर. 97

ग्रेगरी पैट्राव और ओआरएस।

वी.

मंगलौर रिफाइनरी और

पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 4105-4107 2022 का)

11 जुलाई, 2022

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहणः कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास

अधिनियम, 1966 (केआईएडी अधिनियम) - एस. 28-- इच्छुक व्यक्ति-उचित पक्ष

–

बाद में आबंटित व्यक्ति का संदर्भ कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार

अपीलार्थियों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था के. आई. ए. डी. की धारा 28 (4)

औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए अधिनियम-भूमि अधिग्रहण अधिकारी भूमि के मालिकों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद

भूमि मालिकों के कहने पर संदर्भ न्यायालय को दिए गए निर्देश-संदर्भ न्यायालय ने मुआवजे की राशि में वृद्धि की-प्रतिवादी संख्या 1 (एम. आर. पी. एल.) को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के. आई. ए. डी. बी.) द्वारा पट्टाधारक के रूप में भूमि आवंटित की गई थी-एम. आर. पी. एल. ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को इस आधार पर प्राथमिकता दी कि इसे संदर्भ न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए था क्योंकि वह अधिग्रहण का लाभार्थी था और के. आई. ए. डी. बी. और एम. आर. पी. एल. के बीच समझौते के तहत, एम. आर. पी. एल. को मुआवजे की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है-उच्च न्यायालय ने कहा कि एम. आर. पी. एल. को इच्छुक व्यक्ति कहा जा सकता है और इसलिए मुआवजे की राशि बढ़ाने से पहले मामले को वापस भेज दिया जाना चाहिए था।

अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः इससे अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है।

* पीरप्पा हनमंथ हरिजन बनाम के मामले में लिया गया दृष्टिकोण। कर्नाटक राज्य कि के. आई. ए. डी. बी. द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद एम. आर. पी. एल. को बाद में आबंटित किया गया था, इसे न तो लाभार्थी कहा जा सकता है और न ही इसके निर्धारण के उद्देश्य से 'इच्छुक व्यक्ति' कहा जा सकता है।

क्षतिपूर्ति-उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया गया।

भारत का संविधानः Art.141-बाध्यकारी पूर्ववर्ती-आयोजितः

उच्च न्यायालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के बाध्यकारी उदाहरणों का पालन नहीं करना अनुच्छेद के विपरीत है। 141 भारत का संविधान।

[2022] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः प्रावधानों के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 और अधिसूचना के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 की धारा 28 (1) के तहत जारी की गई है। राज्य सरकार ने के. आई. ए. डी. बी. के लिए तीन अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि का अधिग्रहण किया है। अधिसूचनाएँ। भूमि अधिग्रहण के बाद, प्रतिवादी संख्या 1-एम. आर. पी. एल. को के. आई. ए. डी. बी. और एम. आर. पी. एल. के बीच हुए समझौतों के अनुसार अधिग्रहित भूमि आवंटित की गई है। वर्तमान नहीं है

भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण और इसलिए, न तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 50 और न ही भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के कोई अन्य प्रावधान के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित भूमि के संबंध में लागू होंगे। पीरप्पा हनमंथा हरिजन के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है कि के. आई. ए. डी. बी. द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद एम. आर. पी. एल. को बाद में आबंटित किया गया था, इसलिए मुआवजे के निर्धारण के उद्देश्य से न तो लाभार्थी कहा जा सकता है और न ही "इच्छुक व्यक्ति" कहा जा सकता है। इसके तहत

परिस्थितियों, विवादित निर्णय और उच्च न्यायालय द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण लेते हुए पारित आदेश अस्थिर है। [पैरा 7,7.6] [106-एफ-एच; 107-ए-बी; 115-डी]

* पीरप्पा हनमन्थ हरिजन बनाम। कर्नाटक राज्य

हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल (पी) लिमिटेड v. फ्रांसिस विक्टर काउंटिन्हो (मृत) एल. आर. एस. द्वारा (1980) 3 एस. सी. सी. 223: [1980] 3 एससीआर 235; यूपी आवास एवं विकास परिषद बनाम। ग्यान

एल. आर. द्वारा देवी (मृत) और ओआरएस। (1995) 2 एससीसी 326: [1994]

4 पूरक। एससीआर 646-प्रतिष्ठित।

नीलगंगबाई और एक अन्य वी। कर्नाटक राज्य और

अन्य (1990) 3 एससीसी 617 [1990] 3 एससीआर 20; नेवली

अधिग्रहण) नेवली और अन्य (1995) 1 एस. सी. सी. 221: [1994] 4 पूरक। एस. सी. आर. 567; सतीश कुमार गुप्ता बनाम। हरियाणा राज्य (2017) 4 एससीसी 760 [2017] 1 एससीआर 767;

रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड बनाम। कोलकाता महानगर

विकास प्राधिकरण (2013) 10 एससीसी 95: [2013] 17 एस. सी. आर. 345; बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार (2019) 4 एससीसी

197 [2019] 2 एस. सी. आर. 24-संदर्भित।

ग्रेगरी पैट्राव और ओआरएस। वी. मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ओआरएस।

मामला कानून संदर्भ

[1980] 3 एससीआर 235

प्रतिष्ठित

पैरा 2

[1994] 4 पूरक। एससीआर 646

पैरा 2

प्रतिष्ठित

[1990] 3 एससीआर 20

पैरा 2

संदर्भित किया गया है

[1994] 4 पूरक। एससीआर 567

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2015] 9 एससीआर 498

उस पर भरोसा करें

पैरा 2.2

[2017] 1 एससीआर 767

पैरा 3.7

संदर्भित किया गया है

[2013] 17 एससीआर 345

पैरा 3.8

संदर्भित किया गया है

[2019] 2 एससीआर 24

पैरा

3.8

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 4105

4107 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 06.09.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2021 (एल. ए. सी.) सी/डब्ल्यू एम. एफ. ए. संख्या 2021 (एल. ए. सी.) और एम. एफ. ए. 2021 (एल. ए. सी.) के एम. एफ. ए. No.247 में बेंगलुरु में।

शैलेश मडियाल, वैभव सभरवाल, सुश्री नेहा जैन, राजन

परमार, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री शालिनी सती प्रसाद, जीवन बी. पांडा, मेहर टंडन

मेसर्स खेतान एंड कंपनी, एड. उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. विवादित फैसले से दुखी और असंतुष्ट महसूस करना

और 2021 की पहली अपील संख्या 259 और अन्य संबद्ध पहली अपीलों में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विद्वान संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार को दरकिनार कर दिया है और मामले को संदर्भ न्यायालय को भेज दिया है ताकि प्रतिवादी संख्या 1 सहित सभी पक्षों को एक अवसर प्रदान करने के बाद संदर्भों पर नए सिरे से निर्णय लिया जा सके। मैंगलोर रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मैंगलोर (एम. आर. पी. एल.), मूल दावेदारों/मूल भूमि मालिकों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

2. मूल दावेदारों/मूल दावेदारों की भूमि

इसमें भूमि मालिकों/अपीलकर्ताओं का अधिग्रहण कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1966 (इसके बाद संदर्भित [2022] 12 एस. सी. आर. की धारा 28 (4) के तहत किया गया था।

तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं के तहत "के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966") के रूप में। कर्नाटक के विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की गई थी।

औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (इसके बाद "के. आई. ए. डी. बी". के रूप में संदर्भित)। भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने भूमि के मालिकों को सुनने का अवसर देने के बाद 06.10.2009 पर एक पुरस्कार पारित किया। भूमि मालिकों के कहने पर, संदर्भ न्यायालय को निर्देश दिए गए थे। संदर्भ न्यायालय ने दिनांक 29.07.2020 के फैसले के माध्यम से मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया।

2.1 संदर्भ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.07.2020 पर पारित निर्णय और निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना, राशि बढ़ाना।

मुआवजे के लिए, प्रतिवादी संख्या 1-एम. आर. पी. एल., जिसे के. आई. ए. डी. बी. द्वारा पट्टेदार के रूप में भूमि आवंटित की गई थी, ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी और अपील करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया। एम. आर. पी. एल. की ओर से यह मामला था कि चूंकि एम. आर. पी. एल. अधिग्रहण का लाभार्थी है और के. आई. ए. डी. बी. और एम. आर. पी. एल. के बीच समझौते के तहत, एम. आर. पी. एल. को मुआवजे की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है और इसलिए, अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान करने का बोझ एम. आर. पी. एल. पर होगा, इसलिए, एम. आर. पी. एल. को संदर्भ अदालत द्वारा सुना जाना चाहिए था। एम. पी. आर. एल. की ओर से यह मामला था कि एम. आर. पी. एल. को "इच्छुक व्यक्ति" कहा जा सकता है। हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल (पी) लिमिटेड के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भारी निर्भरता रखी गई थी। बनाम फ्रांसिस विक्टर काउंटिन्हो (मृत) एल. आर. द्वारा, (1980) 3 एस. सी. सी. 223; यू. पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम ज्ञान देवी (मृत) एल. आर. द्वारा। और ओआरएस। , (1995) 2 एस. सी. सी. 326; नीलगंगबाई और एक अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य, (1990) 3 एस. सी. सी. 617; और नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बनाम विशेष तहसीलदार (भूमि अधिग्रहण) नेवली और अन्य, (1995) 1 एस. सी. सी. 221.

2.2 दूसरी ओर, यह मूल मालिकों की ओर से मामला था कि एम. आर. पी. एल., के. आई. ए. डी. बी. से एक आवंटनकर्ता होने के नाते और

भूमि अधिग्रहण कार्यवाही का लाभार्थी के. आई. ए. डी. बी. है न कि एम. आर. पी. एल. और भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा दी गई राशि के. आई. ए. डी. बी. द्वारा जमा की गई थी, एम. आर. पी. एल. को 'इच्छुक व्यक्ति' नहीं कहा जा सकता है। पीरप्पा हनमंथा हरिजन बनाम कर्नाटक राज्य, (2015) 10 एस. सी. सी. 469 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए, अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया गया था।

2.3 विवादित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा और मुख्य रूप से यूपी आवास इवाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

विकास परिषद (ऊपर), उच्च न्यायालय ने ग्रेगरी पैट्राव और ओआरएस को अनुमति दे दी है।

वी. मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

एम. आर. पी. एल. संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय को चुनौती देने वाली अपील दायर करने के लिए और उसके बाद संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और निर्णय को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एम. आर. पी. एल. को "इच्छुक व्यक्ति" कहा जा सकता है और इसलिए, मुआवजे की राशि बढ़ाने से पहले सुना जाना चाहिए था।

इसके बाद, उच्च न्यायालय ने एक अवसर प्रदान करने के बाद मामले को नए सिरे से निर्णय के लिए संदर्भ न्यायालय को वापस भेज दिया है। एम. आर. पी. एल. सहित सभी पक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए।

2.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, मूल दावेदार /

मूल भूमि मालिकों ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

3. अपीलार्थियों-मूल दावेदारों की ओर से पेश विद्वान वकील श्री शैलेश मडियाल ने जोरदार तर्क दिया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने एम. आर. पी. एल. द्वारा दायर अपीलों में संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और पुरस्कार/आदेश को रद्द करने और खारिज करने में गलती की है, यह मानते हुए कि एम. आर. पी. एल. को "इच्छुक व्यक्ति" कहा जा सकता है और इसलिए, मुआवजे की राशि बढ़ाने से पहले एम. आर. पी. एल. को संदर्भ न्यायालय द्वारा सुना जाना चाहिए था। 3.1 अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री मडियाल ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में वास्तविक मुद्दा यह है कि क्या के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के तहत अधिग्रहण में, मुआवजे के निर्धारण के लिए कार्यवाही में भूमि के एक हिस्से का अधिग्रहण के बाद आवंटन एक आवश्यक पक्ष है।

3.2 यह आग्रह किया जाता है कि के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 की धारा 28 (1) के संदर्भ में, अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

उक्त अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बोर्ड द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए विकास का उद्देश्य। वर्तमान मामले में, अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा के. आई. ए. डी. बी. के माध्यम से "उद्योग की स्थापना और इसे विकसित करने" के उद्देश्यों के लिए किया गया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रारंभिक/अंतिम अधिसूचनाओं में भी यह उल्लेख नहीं है कि अधिग्रहण एम. आर. पी. एल. के लिए था। यह भी आग्रह किया जाता है कि के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 की धारा 28 (8) के अनुसार, राज्य सरकार, भूमि पर कब्जा करने के बाद, भूमि को के. आई. ए. डी. बी. को हस्तांतरित करती है और उसके बाद के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 की धारा 32 (2) के अनुसार, के. आई. ए. डी. बी. को इस प्रकार हस्तांतरित भूमि से निपटने का अधिकार है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए विनियम और दिए गए निर्देश [2022] 12 एस. सी. आर.

इस ओर से। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, वह कंपनी जिसके पास एक भूमि है

के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के तहत आबंटित किए गए को अधिग्रहण का लाभार्थी नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार लाभार्थी वास्तव में के. आई. ए. डी. बी. है जो बदले में अधिग्रहित भूमि को ऐसी कंपनियों को आवंटित करता है जैसे -

एमआरपीएल।

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्णय को देखते हुए वर्तमान अपीलों में शामिल मुद्दा एकीकृत नहीं है।

पीरप्पा हनमन्थ हरिजन (ऊपर) का मामला। कि इस न्यायालय ने स्वयं के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के तहत अधिग्रहण से संबंधित उपरोक्त मामले में अधिग्रहण के बाद आबंटित कंपनी के इस दावे को खारिज कर दिया कि उसे भूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए अधिनिर्णय की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 की योजना पर विचार करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि आबंटित कंपनी के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के तहत अधिग्रहित भूमि की लाभार्थी नहीं है। कि उक्त निर्णय में, यह आगे देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 54, जो एक अधिकार प्रदान करती है

अपील करना केवल भूमि मालिकों, राज्य सरकार और अधिग्रहित भूमि के लाभार्थी के लिए उपलब्ध है, न कि आबंटित कंपनी के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, के. आई. ए. डी. बी. को अधिग्रहित भूमि का लाभार्थी कहा जा सकता है न कि आबंटित कंपनी-एम. आर. पी. एल.। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1-एम. आर. पी. एल. द्वारा दायर अपीलें बिल्कुल भी विचारणीय नहीं थीं और उच्च न्यायालय को पीरप्पा हनमंथ हरिजन (उपरोक्त) के मामले में निर्धारित कानून को देखते हुए उक्त अपीलों को खारिज कर देना चाहिए था।

3.4 अब, जहाँ तक, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (उपर्युक्त) में इस न्यायालय के फैसलों पर उच्च न्यायालय द्वारा दी गई निर्भरता है।

और हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल (पी) लिमिटेड (ऊपर) विवादित सामान्य निर्णय और आदेश पारित करते समय, यह अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है-मूल

भूमि मालिक कि उच्च न्यायालय ने भरोसा करने में एक गंभीर गलती की है उपरोक्त निर्णयों पर। कि उपरोक्त दोनों निर्णय, जिन पर उच्च न्यायालय ने विवादित सामान्य निर्णय और आदेश पारित करते समय बहुत अधिक भरोसा किया है, के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के तहत अधिग्रहण के संबंध में बिल्कुल भी लागू नहीं हैं।

3.5 अतः, उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि उक्त निर्णय निम्नलिखित से संबंधित हैं -

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 50 के तहत भूमि अधिग्रहण अधिनियम के भाग VII के तहत अधिग्रहण, जो ग्रेगरी पैट्राव और ओ. आर. एस. के लिए प्रत्यक्ष अधिग्रहण का प्रावधान करता है।

वी. मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

एक कंपनी/स्थानीय प्राधिकरण। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय का निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (उपरोक्त) के पैरा 24 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस कंपनी या स्थानीय प्राधिकरण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसे संदर्भ न्यायालय के समक्ष भाग लेने का अधिकार है। लेकिन वर्तमान मामले में, के. आई. ए. डी. बी. के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है, जो न तो एक कंपनी है और न ही एक स्थानीय प्राधिकरण है।

3.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि यूपी आवास एवं विकास परिषद (उपरोक्त) और हिमालयन टाइल्स के मामले में इस न्यायालय के निर्णय

और संगमरमर (पी) लिमिटेड (ऊपर) को इस न्यायालय द्वारा पीरप्पा हनमंथ हरिजन (ऊपर) (पैरा 61 और 62 पर) के मामले में माना और अलग किया गया है।

3.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बाद के निर्णय में भी, इस न्यायालय ने सतीश कुमार गुप्ता बनाम हरियाणा राज्य के मामले में,

(2017) 4 एस. सी. सी. 760 पीरप्पा हनमन्थ के मामले पर निर्भर करता है। हरिजन (ऊपर) ने यूपी आवास एवं विकास परिषद (ऊपर) और हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल के मामले में अलग-अलग निर्णय दिए हैं।

(पी) लिमिटेड (उपर्युक्त) ने यह अभिनिर्धारित किया है और यह विचार रखा है कि भूमि का अधिग्रहण के बाद आबंटित व्यक्ति न तो आवश्यक या उचित पक्षकार है और न ही उसका कोई अधिकार क्षेत्र है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की योजना के तहत मुआवजे के निर्धारण के मामले में सुनवाई की जाएगी।

3.8 अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने एक गंभीर अपराध किया है।

इस न्यायालय के एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती का पालन नहीं करने में त्रुटि

पीरप्पा हनमन्थ हरिजन (ऊपर) का मामला। कि इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय उच्च न्यायालय के लिए बाध्यकारी था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इसका पालन नहीं किया है और एक गलत तर्क के आधार पर कहा है कि यूपी आवास में इस न्यायालय का निर्णय

विकास परिषद (ऊपर), पीरप्पा हनमंथ हरिजन (ऊपर) में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले की तुलना में तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय होने के नाते उच्च न्यायालय को बाध्य करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की उचित रूप से सराहना और विचार नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर बाद में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया और अलग किया गया। पीरप्पा हनमन्थ हरिजन (ऊपर) का मामला। इसलिए, उच्च न्यायालय पीरप्पा हनमंथ हरिजन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से बंधा था, यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 141 में सन्निहित टकटकी निर्णय के सिद्धांत पर भी और इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई हैः

2] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" बस्तियों के निदेशक, ए. पी. बनाम। एम. आर. अप्पाराव (2002) 4

एस. सी. सी. 638 (पैरा 7); रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड। बनाम कोलकाता

महानगर विकास प्राधिकरण, (2013) 10 एससीसी 95 (पैरा 7) और बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार, (2019) 4 एससीसी

197 (पैरा 30)।

3.9 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए

अपीलें करें।

4. प्रतिवादी संख्या 1-एम. आर. पी. एल. की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री शालिनी सती प्रसाद द्वारा वर्तमान अपीलों का जोरदार विरोध किया जाता है।

4.1 प्रतिवादी संख्या 1-एम. आर. पी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान अपील इस प्रश्न को उठाती है कि

क्या प्रत्यर्थी संख्या 1-एम. आर. पी. एल. को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 18 (1) के उद्देश्य के लिए "इच्छुक व्यक्ति" कहा जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप, क्या प्रत्यर्थी संख्या 1 उचित था।

विद्वान संदर्भ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में पक्षकार। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार विवादित निर्णय में कोई दुर्बलता नहीं है।

और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश क्योंकि उच्च न्यायालय ने यूपी आवास एवं विकास परिषद (उपरोक्त) और हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल (पी) लिमिटेड (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के प्रत्यक्ष निर्णयों पर भरोसा किया है।

4.2 एम. आर. पी. एल. की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने जोरदार तरीके से कहा है कि एम. आर. पी. एल. को "व्यक्ति" कहा जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 और 20 और के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 की धारा 29 (4) के उद्देश्य के लिए इच्छुक और इसलिए संदर्भ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक उचित पक्षकार था।

4.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 की धारा 28 (1) या धारा 28 (4) के तहत अधिसूचना में उस विशिष्ट कंपनी के बारे में बयान देने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि समझौते में अन्यथा भी

के. आई. ए. डी. बी. और एम. आर. पी. एल. के बीच, मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का भुगतान करने का दायित्व एम. आर. पी. एल. पर होगा और इसलिए मुआवजे की राशि बढ़ाने से पहले, संदर्भ न्यायालय को एम. आर. पी. एल. को सुनना चाहिए था। कि एम. आर. पी. एल. को संदर्भ न्यायालय द्वारा वृद्धि को चुनौती देने के उचित अवसर के बिना बढ़ी हुई प्रदत्त राशि का वित्तीय बोझ वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने एम. आर. पी. एल., जो एक "इच्छुक व्यक्ति" है, को एक महान संरक्षक और ओ. आर. एस. प्रदान करने के लिए मामले को उचित रूप से संदर्भ न्यायालय को भेज दिया है।

वी. मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

भूमि मालिकों को मुआवजे की बढ़ी हुई राशि देने से पहले सुनवाई का अवसर।

4.4 यह आगे उपस्थित विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया जाता है

प्रत्यर्थी संख्या 1-एम. आर. पी. एल. की ओर से कि के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 की धारा 2 (11) के अनुसार, "इच्छुक व्यक्ति" अभिव्यक्ति का वही अर्थ है जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है। कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 3 (बी) के अनुसार, "इच्छुक व्यक्ति" पद में वे सभी व्यक्ति शामिल हैं जो उक्त अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण के कारण किए जाने वाले मुआवजे में ब्याज का दावा करते हैं और एक व्यक्ति को भूमि में रुचि रखने वाला माना जाएगा यदि वह भूमि को प्रभावित करने वाले किसी सहजता में रुचि रखता है।

4.5 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के तहत गठित के. आई. ए. डी. बी. ने एम. आर. पी. एल. के साथ एक समझौता किया था

दिनांकित 08.12.1994। तदनुसार, के. आई. ए. डी. बी. के साथ उक्त समझौते को देखते हुए, के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 की धारा 28 (4) के तहत राज्य द्वारा जारी तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं के अनुसार भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कि राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति द्वारा प्रतिवादी संख्या 1-एम. आर. पी. एल. को भूमि प्रदान की गई थी, जिसकी मंजूरी कर्नाटक उद्योग सुविधा अधिनियम 2002 की धारा 8 के संदर्भ में सभी विभागों और प्राधिकरणों पर बाध्यकारी है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, एम. आर. पी. एल. को अधिग्रहित भूमि में "इच्छुक व्यक्ति" कहा जा सकता है।

4.6 यह प्रस्तुत करने पर कि एम. आर. पी. एल. को भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत "इच्छुक व्यक्ति" कहा जा सकता है। और/या के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 और इसलिए इससे पहले एक उचित पक्षकार

कार्यवाहियों में, प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने यूपी आवास एवं विकास परिषद (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है; हिमालयन टाइल्स और

संगमरमर (पी) लिमिटेड (ऊपर) के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम भोला नाथ शर्मा के मामले में इस न्यायालय का एक और निर्णय।

(मृत) एल. आर. और ओआरएस द्वारा। , 2011 (2) एससीसी 54। 4.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रकार और यह अच्छी तरह से जानते हुए कि भूमि एम. आर. पी. एल. के लिए अधिग्रहित की गई थी, वास्तव में यहाँ अपीलकर्ता

उच्च न्यायालय के समक्ष अधिग्रहण को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में एम. आर. पी. एल. को एक पक्षकार प्रतिवादी के रूप में शामिल किया था। इसलिए, इसके बाद मुआवजे में वृद्धि के लिए दिए गए संदर्भों में, भूमि मालिकों को एक प्रभावित और उचित पक्ष होने के नाते एम. पी. आर. एल. को शामिल करना चाहिए था।

4.8 एम. आर. पी. एल. की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे कहा है कि एम. आर. पी. एल. को मुआवजे की राशि में वृद्धि को चुनौती देने का उचित मौका दिए बिना मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का वित्तीय बोझ वहन करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (उपरोक्त) के मामले के पैरा 22 और 41 पर भरोसा रखा गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू. पी. आवास एवं विकास परिषद (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का अनुपात पैरा 22 और 41 पीरप्पा हनमन्थ हरिजन (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार और भेद नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, भले ही यह माना जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1-एम. आर. पी. एल. को विद्वान संदर्भ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और वैध अपेक्षा के सिद्धांत को आकर्षित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिवादी संख्या 1-एम. आर. पी. एल. को विद्वत संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के वित्तीय निहितार्थों के बोझ से ग्रस्त होने के साथ-साथ सुधारहीन नहीं बनाया गया है।

4.9 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

5. लेंगट में संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना

6. इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि क्या प्रतिवादी संख्या 1-एम. आर. पी. एल., जो केवल एक आवंटनकर्ता है।

कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के. आई. ए. डी. बी.) के लाभ के लिए के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 की धारा 28 के तहत भूमि अधिग्रहण के बाद के. आई. ए. डी. बोर्ड द्वारा भूमि का अधिग्रहण कहा जा सकता है।

के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत एक "इच्छुक व्यक्ति" होने के लिए और इसलिए, शुरू की गई संदर्भ कार्यवाही में एक उचित पक्ष था

मूल भूमि मालिकों का उदाहरण?

7. उपरोक्त मुद्दे/प्रश्न का उत्तर देते समय, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, भूमि का अधिग्रहण इसके तहत किया गया है

के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के प्रावधान और अधिसूचना जारी कर दी गई है

के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 की धारा 28 (1) के तहत। राज्य सरकार ने तीन अलग-अलग अधिसूचनाओं के तहत के. आई. ए. डी. बी. के लिए भूमि का अधिग्रहण किया है। भूमि अधिग्रहण के बाद, प्रतिवादी संख्या 1-एम. आर. पी. एल. को के. आई. ए. डी. बी. और एम. आर. पी. एल. के बीच हुए समझौतों के अनुसार अधिग्रहित भूमि आवंटित की गई है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण नहीं है और इसलिए, न तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 50 और न ही भूमि ग्रेगरी पैट्राव और ओआरएस के कोई अन्य प्रावधान हैं।

वी. मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित भूमि के संबंध में लागू होगा। में लेना।

विचार, उपरोक्त तथ्यात्मक पहलुओं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश जिसमें उसने यूपी आवास एवं विकास परिषद के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर बहुत अधिक भरोसा किया है

(ऊपर) और हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल (पी) लिमिटेड (ऊपर) पर विचार किया जाना आवश्यक है।

7.1 प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि इस प्रकार, अधिग्रहण के संबंध में वर्तमान अपील में शामिल मुद्दा

के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 और संदर्भ कार्यवाही में भाग लेने के लिए बाद के आबंटित व्यक्ति का अधिकार और क्या बाद के आबंटित व्यक्ति को के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत "इच्छुक व्यक्ति" कहा जा सकता है, अब एकीकृत नहीं है। के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के तहत अधिग्रहण और बाद के आबंटित व्यक्ति के अधिकार पर निर्णय लेते समय, जिसे पीरप्पा के मामले में के. आई. ए. डी. बी. द्वारा भूमि आवंटित की गई है।

हनमंथा हरिजन (ऊपर) ने यूपी आवास एवं विकास परिषद (ऊपर) और हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल (पी) लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के फैसले में अंतर करने के बाद, यह विशेष रूप से कहा गया है

इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया कि किसी आबंटित कंपनी को लाभार्थी या मुआवजे के निर्धारण से पहले सुनवाई का हकदार "इच्छुक व्यक्ति" नहीं कहा जा सकता है। ऐसा मानते हुए और ऐसा ठहराते हुए, इस न्यायालय को के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के तहत अधिग्रहण की पूरी योजना पर विचार करने का अवसर मिला और उसने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत अधिग्रहण को अलग किया। इस न्यायालय के समक्ष भी, उच्च न्यायालय ने आबंटित कंपनी द्वारा संदर्भ न्यायालय में दायर रिट याचिका में आबंटित कंपनी के कहने पर मामले को वापस भेज दिया। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करते हुए इसे दरकिनार कर दिया कि आबंटित कंपनी, जिसे के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के प्रावधानों के तहत भूमि आवंटित की गई है, को न तो लाभार्थी कहा जा सकता है और न ही मुआवजे के निर्धारण से पहले सुनवाई का हकदार "इच्छुक पक्ष" कहा जा सकता है। इस मामले में न्यायालय

पीरप्पा हनमन्थ हरिजन (ऊपर) ने विस्तार से विचार किया आबंटित व्यक्ति/पट्टेदार के पक्ष में आबंटन/पट्टा समझौता और के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के प्रासंगिक प्रावधान और पैराग्राफ 50 से 54 में निम्नानुसार कहा गया हैः

" 50. अपीलार्थियों की भूमि के संबंध में पक्षों के बीच निष्पादित पट्टा समझौते के उपरोक्त खंडों की सावधानीपूर्वक जांच करने पर, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है कि उक्त समझौते को के. आई. ए. डी. बी. द्वारा [2022] 12 एस. सी. आर. के बाद कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया गया है।

के. आई. ए. डी. बी. विनियमों के विनियम 10 (ए) और (सी) के तहत भूमि की लागत के लिए आवश्यक जमा राशि के साथ इच्छुक पक्षों द्वारा आवेदन आमंत्रित करने और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए। इसके अलावा, ऊपर निर्दिष्ट पट्टा समझौते के खंड 5 (ए) और (बी) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पट्टा समझौते के खंड 1 में इंगित प्रीमियम भूमि की अस्थायी लागत का प्रतिनिधित्व करता है और पट्टाधारक द्वारा भूमि मालिकों को सक्षम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार के आधार पर या नष्ट किए गए परिसर या उसके किसी हिस्से के संबंध में एल. ए. ए. अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए अधिग्रहण प्राधिकारी द्वारा दिए गए पुरस्कारों के अलावा और उससे अधिक राशि का भुगतान करने की स्थिति, पट्टेदार द्वारा पूरा किया जाएगा।

कार्यकारी सदस्य या पट्टेदार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित संचार की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर। खंड 5 (बी) भी पट्टेदार और पट्टेदार के बीच उस प्रभाव के लिए समान प्रावधान करता है।

51. के. आई. ए. डी. अधिनियम की धारा 32 (2) और के. आई. ए. डी. बी. विनियमों के विनियम 4,7,10 (बी), (सी) और (डी) के प्रावधानों के साथ पट्टा समझौते के उपरोक्त खंडों को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट है कि कंपनी भूमि के आवंटन के रूप में केवल पट्टेदार है क्योंकि इसे के. आई. ए. डी. बी. द्वारा अपने पक्ष में आवंटित किया गया है और उसने आवंटित भूमि के संबंध में पट्टे के विलेख को अपने पक्ष में निष्पादित किया है। 52. राज्य सरकार द्वारा के. आई. ए. डी. अधिनियम की धारा 28 (1) और 28 (4) के तहत जारी की गई अधिसूचनाओं को ध्यान में रखते हुए, हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि -

इन कार्यवाही में शामिल भूमि का अधिग्रहण सेडम तालुक में के. आई. ए. डी. बी. द्वारा औद्योगिक विकास के उद्देश्य से किया जाता है। इसलिए, अधिग्रहित भूमि का लाभार्थी केवल के. आई. ए. डी. बी. है, लेकिन कंपनी नहीं है, जैसा कि उसने दावा किया है। के. आई. ए. डी. अधिनियम की धारा 28 (5) को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है राज्य सरकार वैधानिक रूप से पूरी तरह से इसके साथ निहित है। इसके बाद

के. आई. ए. डी. अधिनियम की धारा 28 (6) और (7) के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करते हुए, राज्य सरकार

भूमि के मालिकों/व्यक्ति/व्यक्तियों से अधिग्रहित भूमि जो भूमि के कब्जे में हैं और इसे के. आई. ए. डी. बी. के पक्ष में इसके विकास और निपटान के लिए हस्तांतरित करते हैं।

के. आई. ए. डी. बी. विनियमों का विनियम 10 (ए), जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है।

अहंकार और हमारा। वी. मंगलौर रिफाइनरी ओ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एंड ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

53. तत्काल मामले में, ऊपर उल्लिखित पक्षों के बीच निष्पादित पट्टा समझौते के प्रावधानों और के. आई. ए. डी. बी. विनियमों के विनियम 10 खंड (ए), (सी), (डी) और (ई) के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि कंपनी केवल आबंटितकर्ता है।

अधिग्रहित भूमि का पट्टेदार और ऊपर निर्दिष्ट पट्टा समझौते के खंड 5 (ए) और (बी) के अनुसार,

उसके पक्ष में आवंटित भूमि के संबंध में पट्टा समझौता भूमि की अस्थायी लागत का प्रतिनिधित्व करता है। पट्टा समझौते में आगे यह निर्दिष्ट किया गया है कि पट्टेदार द्वारा भूमि मालिकों को राशि का भुगतान करने की स्थिति में और

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सक्षम न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कारों के आधार पर अधिग्रहण प्राधिकारी द्वारा दिए गए पुरस्कारों के ऊपर, कार्यकारी सदस्य या किसी अन्य द्वारा हस्ताक्षरित संचार की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर पट्टेदार द्वारा पूरा किया जाएगा। पट्टेदार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। पट्टा समझौते की उपरोक्त शर्तों को ध्यान में रखते हुए, न तो के. आई. ए. डी. बी. और न ही कंपनी यह तर्क दे सकती है कि इन कार्यवाही में शामिल भूमि का अधिग्रहण पट्टेदार कंपनी के पक्ष में है। इसलिए, कंपनी न तो एक लाभार्थी है और न ही एक इच्छुक व्यक्ति है जैसा कि उन्होंने के. आई. ए. डी. अधिनियम की धारा 2 (11) के संदर्भ में दावा किया है या

और यह कि एक व्यक्ति को भूमि में रुचि रखने वाला माना जाएगा यदि वह भूमि को प्रभावित करने वाले किसी अधिभोग में रुचि रखता है। यह आवश्यक है कि एल. ए. अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 3 (बी), जो इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस से संबंधित है और धारा 11, जो उपायुक्त/भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पारित की जाने वाली जांच और पुरस्कार से संबंधित है, की जांच करें।

54. एल. ए. अधिनियम, के. आई. ए. डी. अधिनियम और के. आई. ए. डी. बी. विनियमों के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कंपनी न तो लाभार्थी है, और न ही भूमि अधिग्रहण की तारीख को भूमि में रुचि रखने वाला व्यक्ति है, क्योंकि भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा के. आई. ए. डी. बी. के पक्ष में किया गया था, जो लाभार्थी है और उसने अधिग्रहित भूमि को राज्य सरकार द्वारा उसके पक्ष में हस्तांतरित करने और ऊपर उल्लिखित पट्टा समझौते को लागू करने के बाद कंपनी के पक्ष में आवंटित किया है।

7.2 इसके बाद, इस न्यायालय ने अधिग्रहण की प्रकृति को अलग किया

के. आई. ए. डी. के तहत अधिग्रहण से भूमि अधिग्रहण अधिनियम

1966 पैराग्राफ 57,58 और 60 से 65 के तहत अवलोकन करके:

" 57. कंपनी के पक्ष में एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि अधिग्रहण के लिए एल. ए. अधिनियम और नियमों के भाग VII के तहत प्रदान की गई अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए,

इनमें शामिल भूमि अधिग्रहण का मामला नहीं है

कर्नाटक की धारा 3 (च) (viii) का अधिनियम 1961 का एल. ए. संशोधित अधिनियम 17 मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और इसलिए उक्त प्रावधान को मामले पर लागू नहीं किया जा सकता है। 58. एल. ए. अधिनियम के तहत "सार्वजनिक उद्देश्य" की परिभाषा को राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में शामिल नहीं किया जा सकता है।

के. आई. ए. डी. के प्रावधान के तहत औद्योगिक विकास के लिए "विकास", "औद्योगिक क्षेत्र" और "औद्योगिक संपदा" शब्दों को उप-धारा (5), (6) और के तहत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।

(7) के. आई. ए. डी. अधिनियम की धारा 2 जो इस प्रकार है:

" 2. (5) ' 'विकास' का व्याकरणिक भिन्नताओं के साथ अर्थ है भूमि में, उस पर, उस पर या उसके नीचे समतल करना, खुदाई करना, भवन बनाना, इंजीनियरिंग, उत्खनन या अन्य कार्य करना या किसी भवन या भूमि में कोई भौतिक परिवर्तन करना, और इसमें पुनर्विकास शामिल है; और 'विकास' का अर्थ लगाया जाएगा

तदनुसार;

(6) ' 'औद्योगिक क्षेत्र' से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा औद्योगिक क्षेत्र घोषित कोई भी क्षेत्र अभिप्रेत है जो

विकसित किया जाना है और उद्योग कहाँ होने हैं

समायोजित; और औद्योगिक अवसंरचनात्मक सुविधाएँ और सुविधाएँ प्रदान की जानी हैं और इसमें एक औद्योगिक संपदा शामिल है। (7) ' 'औद्योगिक संपदा' से राज्य सरकार द्वारा चुना गया कोई भी स्थान अभिप्रेत है जहाँ कारखानों और अन्य भवनों का निर्माण किसी भी उद्योग या उद्योग वर्ग द्वारा उपयोग के लिए किया जाता है।

एक्स

एक्स

एक्स एक्स

60. एल. ए. अधिनियम की धारा 50 (1) और (2) के प्रावधानों पर दी गई निर्भरता भी इस कारण से लागू नहीं होती है कि एल. ए. अधिनियम की धारा 50 ई. जी. ओ. आर. आई. पी. ए. टी. आर. ए. ओ. और ओ. आर. एस. पर लागू होती है।

वी. मंगलौर रिफाइनरी डी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

एल. ए. अधिनियम के भाग VII के तहत विचार की गई अनिवार्य प्रक्रिया और उस उद्देश्य के लिए बनाए गए प्रासंगिक नियमों का पालन करके राज्य सरकार द्वारा कंपनी के पक्ष में भूमि अधिग्रहण। इसलिए, कंपनी द्वारा किया गया दावा कि उसे निर्धारण के लिए कार्यवाही में भाग लेने का पूरा अधिकार है और

अधिग्रहित भूमि के बाजार मूल्य का पुनर्निर्धारण और भूमि अधिग्रहण अधिकारी या उपायुक्त या संदर्भ न्यायालय या अपीलीय न्यायालय के समक्ष पारित मुआवजे का अधिनिर्णय कानून में पूरी तरह से असमर्थनीय है और इसलिए, कंपनी की ओर से की गई दलीलें स्वीकार नहीं की जा सकती हैं और उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है।

इस न्यायालय द्वारा उनके उपरोक्त संबंधित कानूनी प्रस्तुतियों के समर्थन में कि कंपनी एक इच्छुक व्यक्ति है और इसलिए, उसे संदर्भ न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार मिला है। भूमि अधिग्रहण अधिकारी या उपायुक्त या मालिक या किसी अन्य इच्छुक व्यक्ति के कहने पर संदर्भ न्यायालय द्वारा पुरस्कार पारित करने से पहले मुआवजे के निर्धारण के लिए। इनमें यू. पी. आवास एवं विकास परिषद बनाम में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय शामिल हैं। ज्ञान देवी [(1995) 2 एस. सी. सी. 326], हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल (पी) लिमिटेड बनाम। फ्रांसिस विक्टर कोटिन्हो [(1980) 3 एस. सी. सी. 223] और पी. नारायणप्पा बनाम। कर्नाटक राज्य [(2006) 7 एस. सी. सी. 578] और अन्य निर्णय जिनका इस निर्णय में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे सभी उपरोक्त मामलों में निर्धारित कानून की पुनरावृत्ति हैं।

62. के. आई. ए. डी. बी. और कंपनी की ओर से विद्वान वरिष्ठ वकील दोनों द्वारा इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर रखी गई निर्भरता गलत है क्योंकि जिन निर्णयों पर भरोसा किया गया है उनमें से कोई भी वर्तमान मामले में तथ्य स्थिति पर लागू नहीं होता है क्योंकि वे मामले एल. ए. अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में निपटाए गए थे, या तो कंपनी के पक्ष में।

कंपनी या विकास प्राधिकरण, जबकि मामले में, अधिग्रहण की कार्यवाही केआईएडी के तहत शुरू की गई है के. आई. ए. डी. बी. द्वारा औद्योगिक विकास अधिनियम। इसके अलावा, हमारे आदेशों [2022] 12 एस. सी. आर. द्वारा जारी हमारे निर्देशों के अनुसार कर्नाटक राज्य की ओर से विद्वान स्थायी वकील द्वारा कार्यवाही में शामिल अधिग्रहित भूमि के संबंध में मूल अधिग्रहण रिकॉर्ड।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

दिनांक 17-11-2014 [पीरप्पा हनमंथा हरिजन बनाम। की स्थिति

इन मामलों में शामिल भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्यवाही के संबंध में प्रासंगिक अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान विवादित आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक होगी। चार सप्ताह के बाद मामलों को सूचीबद्ध करें। इस बीच, सभी उत्तरदाताओं को लिखित बयान, यदि कोई हो, दायर करने की स्वतंत्रता है।] और 24-3-2015 [पीरप्पा हनमंथा हरिजन बनाम। कर्नाटक राज्य, 2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1707, जिसमें यह निर्देश दिया गया थाः एसएलपी (सी) संख्या में याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठ वकील सुश्री किरण सूरी को सुना। 31624-25 आंशिक रूप से 2014 का। आगे की सुनवाई के लिए सभी मामलों को सूचीबद्ध करें। 17-11-2014 दिनांकित आदेश के माध्यम से, राज्य के विद्वान वकील के साथ-साथ के. आई. ए. डी. बी. के विद्वान वकील को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया

भूमि से संबंधित कार्यवाहियों के संबंध में सुसंगत अभिलेख

के. आई. ए. डी. बी. को दिनांकित 17-11-2014 आदेश का पालन करने और सुनवाई की अगली तारीख से पहले भूमि अधिग्रहण और इन मामलों में शामिल भूमि के आवंटन से संबंधित कार्यवाही के संबंध में प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। 15-4-2015 "पर मामलों को सूचीबद्ध करें।] , इस तथ्य का खुलासा न करें कि अधिग्रहण अधिसूचनाओं में शामिल भूमि का अधिग्रहण इसके पक्ष में है कंपनी। इस प्रकार, के. आई. ए. डी. बी. के पक्ष में भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा जारी प्रारंभिक और अंतिम अधिसूचनाओं से बहुत स्पष्ट है और उसके बाद के. आई. ए. डी. अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (6) और (7) के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए, इसने उन मालिकों से अधिग्रहित भूमि का कब्जा ले लिया, जो

उसी के कब्जे में और EGORY PATRAO और ORS के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वी. मंगलौर रिफाइनरी ओ पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एंड ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

के. आई. ए. डी. बी. को उसके निपटान के लिए जिसके लिए के. आई. ए. डी. अधिनियम की धारा 32 (2) के तहत भूमि का अधिग्रहण किया गया था

के. आई. ए. डी. अधिनियम की धारा 41 (2) (बी) के तहत के. आई. ए. डी. बी. द्वारा बनाए गए उपर्युक्त विनियमों के साथ। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता

हमें भूमि मालिकों के पक्ष में बिंदुओं (i), (ii) और (iii) का जवाब देना होगा कि कंपनी न तो लाभार्थी है। न ही अधिग्रहित भूमि का इच्छुक व्यक्ति, इसलिए, इसके निर्धारण के लिए पुरस्कार की कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है

बाजार मूल्य और अधिग्रहित की गई क्षतिपूर्ति राशि का पुरस्कार

अपीलार्थियों की भूमि। इसलिए, कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित पुरस्कार की शुद्धता पर सवाल उठाती है, जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की जाती है, कानून में बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं है। इस आधार पर ही, कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए था, इसके बजाय उसने कंपनी को अवसर प्रदान करने के बाद दावों पर पुनर्विचार के लिए मामले को अनुमति दी है और मामला संदर्भ न्यायालय को भेज दिया है, जो आदेश कानून में त्रुटि से ग्रस्त है और इसलिए, इसे रद्द किया जाना चाहिए। 64. इसके अलावा, उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने गलती से अभिनिर्धारित किया है कि आबंटित कंपनी अपीलार्थियों की अधिग्रहित भूमि की लाभार्थी है, जो विद्वान न्यायाधीश का निष्कर्ष तथ्यों और कानून दोनों में सही नहीं है। रिट याचिका को अनुमति देने और संदर्भ न्यायालय के निर्णय को रद्द करने में विवादित निर्णय में उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष और कारण और

अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजा कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ये के. आई. ए. डी. अधिनियम, एल. ए. अधिनियम, के. आई. ए. डी. बी. विनियमों और पट्टा समझौते के प्रावधानों के उल्लंघन में हैं, जिसे के. आई. ए. डी. बी. द्वारा कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया गया है और इसलिए, विवादित निर्णय और आदेश [राज्य सरकार के राज्य] कर्नाटक बनाम. पीरप्पा हनमंथा हरिजन, समीक्षा याचिका [2022] 12 एस. सी. आर.

2012 के एम. एफ. ए. सं. 32157 में 2013 की सं. 2537, दिनांकित 22-9 2014 (के. ए. आर.)] की अपीलों को अनुमति देकर अलग किया जा सकता है।

मालिकों को।

65. इसके अलावा, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने एल. ए. अधिनियम की धारा 54 की सराहना नहीं करने में कानून में एक त्रुटि की है, जो प्रावधान को अपील करने का अधिकार प्रदान करता है

भूमि मालिक, या राज्य सरकार और अधिग्रहित भूमि के लाभार्थी, लेकिन उस कंपनी को नहीं जो पट्टेदार है। जब कंपनी के पास पुरस्कार के खिलाफ अपील दायर करने का अधिकार नहीं है तो उसे रिट याचिका दायर करने का भी अधिकार नहीं है। के. आई. ए. डी. बी. ने उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों द्वारा दायर अपील के निपटारे के बाद विलंबित अपील दायर की है।

उसी की शुद्धता पर सवाल उठाया और उसके लिए प्रार्थना की मुआवजे में वृद्धि और उक्त अपील की जा रही है।

पक्षों की ओर से आग्रह किए गए प्रतिद्वंद्वी कानूनी विवादों को स्वीकार करने के बाद इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया गया। उच्च न्यायालय ने के. आई. ए. डी. बी. द्वारा दायर विलंबित अपील को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

7.3 इसके बाद इस अदालत ने यूपी आवास एवं विकास परिषद (उपरोक्त) और हिमालयन टाइल्स के मामले में निर्णयों पर विचार किया था

अदालत। इस प्रकार, उच्च न्यायालय के लिए यह खुला नहीं था कि वह पीरप्पा हनमंथ हरिजन के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय का पालन न करे (ऊपर) यह देखते हुए कि पीरप्पा हनमंथा हरिजन (ऊपर) के मामले में बाद के निर्णय में, यूपी आवास एवं विकास परिषद (ऊपर) और हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल (पी) लिमिटेड (ऊपर) के मामले में पहले के निर्णयों पर विचार नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने पीरप्पा ग्रेगरी पत्राव और ओ. आर. एस. के मामले का फैसला करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया है।

वी. मंगलौर रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

हनमंथा हरिजन (ऊपर), इस न्यायालय ने यूपी आवास एवं विकास परिषद (ऊपर) और हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल (पी) लिमिटेड (ऊपर) के मामले में पहले के फैसलों पर विचार किया और स्पष्ट रूप से कहा था

7.4 इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने यूपी आवास एवं विकास के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करके विवादित निर्णय और आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटि की है परिषद (ऊपर) और हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल (पी) लिमिटेड (ऊपर) और पीरप्पा हनमंथ हरिजन (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के बाद के निर्णय का पालन नहीं करके।

7.5 अब, जहाँ तक यूपी आवास एवं विकास परिषद (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर निर्भरता की बात है और हिमालयन टाइल्स एंड मार्बल (पी) लिमिटेड (ऊपर) प्रतिवादी संख्या 1-एम. आर. पी. एल. द्वारा भरोसा किया गया और यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा भी भरोसा किया गया है

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और के. आई. ए. डी. अधिनियम, 1966 के तहत अधिग्रहण दोनों अलग-अलग हैं और दोनों अधिनियमों के तहत प्रावधान अलग-अलग हैं। 7.6 हम पीरप्पा हनमंथा हरिजन (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं देखते हैं कि के. आई. ए. डी. बी. द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद एम. आर. पी. एल. को बाद में आबंटित किया गया था, इसे न तो लाभार्थी कहा जा सकता है और न ही मुआवजे के निर्धारण के उद्देश्य से "इच्छुक व्यक्ति" कहा जा सकता है। इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा विपरीत दृष्टिकोण रखते हुए पारित विवादित निर्णय और आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे रद्द करने और दरकिनार करने का अधिकार है।

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान अपीलें सफल होती हैं। विवादित सामान्य निर्णय और आदेश 116 द्वारा पारित किया गया

सर्वोच्च न्यायालय की

रिपोर्ट

उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और

पुरस्कार/आदेश को दरकिनार करते हुए

ए.

संदर्भ न्यायालय और मामले को संदर्भ न्यायालय को भेजने को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। संदर्भ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा बहाल किया जाता है।

वर्तमान अपीलों को तदनुसार

अनुमति दी जाती है। लेकिन तथ्यों में

ख और मामले की परिस्थितियों में, लागत के बारे

में कोई आदेश नहीं होगा।

देविका गुजराल (नेहा शर्मा, एलसीआरए

द्वारा सहायता प्राप्त)